इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 अगस्त 2022—श्रावण 13, शक 1944

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्र. 1817-1562-2022-ई-चार.—यह कि, संचालनालय संस्थागत वित्त, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत "SAMAST" पोर्टल में आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया था.

यह कि, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6 मई 2022 द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है. संचालनालय संस्थागत वित्त, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन को स्वैच्छिक आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शासन प्रायोजित योजना के लिए आवेदन करने वाले निवासियों की पहचान के सत्यापन के लिए सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के आधार प्रमाणीकरण के नियम 5, सहपठित धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) के अनुसार अनुमोदन दिया गया है.

यह कि, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6 मई 2022 द्वारा सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन को अधिसूचना जारी करने का परामर्श दिया गया है.

अतएव, उपर्युक्त संदर्भ में, मध्यप्रदेश शासन, सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के आधार प्रमाणीकरण के नियम 5, सहपठित धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, संचालनालय संस्थागत वित्त, वित्त विभाग को स्वैच्छिक आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शासन प्रायोजित योजना के लिए आवेदन करने वाले निवासियों की पहचान के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित करता है.

संचालनालय संस्थागत वित्त, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भारत सरकार द्वारा आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे.

No. 1816-1562-2022-E-IV.—WHEREAS, a proposal was sent by the Directorate of Institutional Finance, Department of Finance, Government of Madhya Pradesh, to the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology for use of Aadhaar authentication in the 'SAMAST" portal under the provisions of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar Act, 2016.

WHEREAS, the said proposal has been approved by the competent authority in the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology *vide* their office memorandam dated 6th May 2022. Approval has been given to the Directorate of Institutional Finance, Department of Finance, Government of Madhya Pradesh for the use of Aadhaar authentication services, on voluntary basis, for verification of identify of residents applying for government sponsored schemes through its online portal, in terms of Rules 5 of the Aadhaar authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended).

WHEREAS, *vide* the said office memorandam dated 6th May 2022, the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology has advised the Government of Madhya Pradesh to issue notification as per Rule 5 of the Aadhaar authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020.

THEREFORE, in view of the above, the Government of Madhya Pradesh hereby notifies the use of Aadhaar authentication services, on voluntary basis, for verification and authentication of identify of residents applying for government sponsored schemes through its online portal by the Directorate of Institutional Finance, Department of Finance, in terms of Rule 5 of the Aadhaar authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended).

The Directorate of Institutional Finance, Department of Finance, Government of Madhya Pradesh shall adhere to the guidelines with respect to use of Aadhaar authentication as laid down by the Government of India.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.